बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–................................/पटना, दिनांक–................

सं0सं0– 4तक0/IEDC/34/2019

प्रेषक,

निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– विभागीय स्थायी वित्त समिति।

विषय:– बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में Incubation Cum Entrepreneurship Development Center (IEDC) की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत ₹762.00 लाख (सात सौ बासठ लाख रूपये) के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 50% (अनुमान्य) अंशदान के रूप में ₹356.00 लाख (तीन सौ छप्पन लाख रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 योजनान्तर्गत बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में Incubation Cum Entrepreneurship Development Center (IEDC) की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत ₹762.00 लाख (सात सौ बासठ लाख रूपये) के विरूद्ध 50% (अनुमान्य) अंशदान के रूप में ₹356.00 लाख (तीन सौ छप्पन लाख रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीकरण को प्रोत्साहन एवं नवीकरण की महत्ता को जागृत करने के लिए प्रेरक, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं अनूकुल स्टार्ट–अप पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना है। इस हेतु उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 357 दिनांक 17.03.2017 द्वारा बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 अधिसूचित की गई है। बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 की कंडिका–10.1 (क) में नए इन्क्यूबेटरों के स्थापना के लिए वित्तीय सहायता तथा राज्य समर्थित इन्क्यूबेटर का विस्तार करने का प्रावधान है। इस आलोक में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में Incubation Cum Entrepreneurship Development Centre (IEDC) स्थापित किया जाना है। इस केन्द्र की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत ₹762.00 लाख (सात सौ बासठ लाख रूपये) है। इसमें सरकार एवं संस्थान का अंशदान 50:50 होगा। इस प्रकार राज्य सरकार को इस केन्द्र की स्थापना पर ₹356.00 लाख (तीन सौ छप्पन लाख रूपये) का व्यय वहन करना होगा।

3. इस राशि की निकासी बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के खाते में बिहार स्टार्ट–अप नीति की संचित राशि से की जायेगी।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप उद्योग निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के खाते में बिहार स्टार्ट–अप नीति की संचित राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/RTGS द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3758 दिनांक 03.05.17 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/IEDC/34/2019
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/IEDC/34/2019
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–..................

सं0सं0– 4तक0/IEDC/34/2019

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–924/पटना, दिनांक–06.03.19

सं0सं0– 4तक0/IEDC/34/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.2019

निदेशक, तकनीकी विकास,
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

13